# कार्यालय कार्यपालन यंत्री

## लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर म.प्र.

दूरभाष 07582-222206

E mail eepwdnhsagar768@gmail.com

ज्ञाप क0/

1063

/ व.ले.लि. /2024—25

सागर दिनांक 16/05/24

प्रति,

प्रधान मुख्य संरक्षक (भू—प्रबंध) वन भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय:--

पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

सन्दर्भ:-

- 1. आपका पत्र क्र.-एफ-5/1215/2023/10-11/2591भोपाल,दिनांक 15.05.2024
- 2. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रा०रा० उपसंभाग छतरपुर का पत्र क्रमांक— 562 /तक0/2024—25 छतरपुर दिनांक 16.05.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि गुलगंज—अमानगंज—पवई—कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक—5 कि0मी0 43+00 से 77+00 बराना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किया जाना है। जिसके लिये पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन की वन भूमि के व्यपवर्तन तथा वाईल्ड लाईफ अनुमित प्राप्त करने हेतु प्रकरण ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उक्त मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित है। आपके संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व चाही गई वन भूमि से गुजरने वाले वर्तमान मार्ग (existing carriage way) जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है:—

S.No.	Particulars	Length	Area	Remarks
1	Required forest land excluding existing carriage way as already proposed under proposal no. FP/MP/ROAD/121709/2021	17.05	31.9	Total length of project
2	Existing carriage way in forest land as per MoEF circular dated 13.03.2023	17.05	12.6	34.00 km
	Total:-	17.05	44.50	

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

(पंर्कज व्यास) कार्यपालन यंत्री े लोर्.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर

सागर दिनांक

पृ0 क0/ प्रतिलिपि:- / व.ले.लि. / 2024-25

1. मुख्य अभिंता लोक निर्माण विभाग रा०रा० परिक्षेत्र निर्माण भवन द्वितीय त्रल अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी MORT&H निर्माण भवन द्वितीय तल अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रा.रा. उपसंभाग छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर

सहपत्र:- शून्य



## भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांकः ६-एमपीआर 011/2023-बीएचओ/ 72092

दिनांक : 📉 🤇

प्रति.

प्रधान सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन. वल्लभ भवन, भोपाल. (मध्यप्रदेश)।

विषयः पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 गुजगंज-अमानगंज-पवर्ड कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग को उपयोग पर देने वावत (FP/MP/ROAD/121709/2021) |

संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 011/2023-बीएचओ/I/69681 दिनांक 12/04/2024. 2 नोडल अधिकारी, म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-5/1215/2023/10-11/2322 दिनांक 29/04/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह स्चित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संवंधित नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 29/04/2024 (संदर्भित पत्र-2) द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर अपूर्ण है। मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 15/03/2023 की प्रति संलग्न करते हुये लेख है कि मौजूद carriage way क्षेत्र को प्रस्ताव में संलग्न करते हुये संशोधित विवरण/प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रस्ताव आगामी आर.ई.सी. बैठक में विचार-विमर्श हेतु रखा जा सके। संलग्नक- उपरोक्तान्सार

Signed by Yogesh Gairola Date: 15-05-2024 10:22:14

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतितिपिः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रवंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष मू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोष क्रमांक / एफ-5 / 1215 / 2023 / 10-11 / 259 | भोपाल, दिनांक | 5 प्रित,

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:— पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज—अमानगंज—पवई—कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/ROAD/121709/2021) संदर्भ:— भारत सरकार का पत्र क्रमांक / 6-MPR 011/2023-BHO/1/72092 दि. 15.05.2024.

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व यह जानकारी चाही गई है कि मौजूद कैरिज–वे क्षेत्र को प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाये।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(एच.एस. मोहन्ता) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1215 / 2023 / 10-11 / 2592 भोपाल, दिनांक / 5 05 / 2624 प्रतिलिपि:-

- 1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
- 2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश। की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

### Government of India Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Forest Conservation Division)

\*\*\*\*

Indira Paryavaran Bhawan, Aligani, Jor Bag Road. New Delhi - 110003

Dated: 15<sup>th</sup> March. 2023

To

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries (Forests), All States/ Union Territory Administrations.

Sub: Upgradation/widening of roads, constructed prior to 1980 in forest areas - reg.

Sir,

I am directed to refer to above mentioned subject and to inform that the issue related to upgradation/widening of roads, constructed prior to 1980 in forest areas, was considered by the Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 27.01.2023. The detailed minutes of the FAC meeting held on 27.01.2023 is placed on the website of this Ministry: www.parivesh.nic.in.

- Ministry vide its guidelines dated 9.11.2020 provided that the 2. State Forest Department can undertake repair, maintenance and upgradation of roads constructed in the forest area prior to 1980 without attracting the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980. There is an apprehension among the various processing authorities in the State as well as in the IRO regarding applicability of the Forest (Conservation) Act, 1980. Many processing authorities are insisting for obtaining approval of forest land located in the carriage way of road constructed prior to 1980 thereby resulting into a situation of ambiguity among the filed functionaries.
- Based on the recommendations of the Advisory Committee, and approval of the same by the competent authority of the MoEF&CC, New Delhi, the following is clarified:
  - i. While seeking prior approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for use for additional forest land required for upgradation/widening of such roads, the detail of existing forest land involved in the carriageway of road constructed prior to 1980 should also be included in the application for diversion of forest land.
  - ii. As the non-forestry use of forest land involved in the carriage way constructed prior to 1980 has already been allowed before 1980, the provision of raising compensatory afforestation and payment of

NPV should not be insisted for such portion of forest land involved in the upgradation/widening of forest land.

ii. The guidelines dated 9.11.2020 issued by the Ministry accordingly, stands modified to the above extant.

This issue with the approval of Competent Authority of the Ministry.

Yours faithfully

Signed by Charan Jeet Singh

Date: 16-03-2023 12:53:49

Sd/-

(Charan Jeet Singh)

Scientist 'D'

#### Copy to:

1. The PCCF, All States/ Union Territories Administration.

2. The Regional Officer, All Integrated Regional Office of MoEF&CC

3. The Nodal Officer, O/o the PCCF, All States/ Union Territories Administration.

4. Monitoring Cell of FC Division, MoEF&CC, New Delhi

5. Guard file.